

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृत्ति/x-03-00781/2024/84

दिनांक:-21/02/2024

--: आदेश :-

निम्नलिखित नर्सिंग कार्मिकों के द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवा निवृत्ति तिथि को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति, तिथि
1	विमला देवी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	टोंक	10.07.1964	22.10.1994	31.07.2024
2	रमा एम.वी. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	टोंक	30.05.1964	23.08.1986	31.05.2024
3	मधुवाला शर्मा महिला स्वास्थ्य दर्शिका	टोंक	28.08.1964	01.07.1985	31.08.2024
4	स्नेहलता जाँयस महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	केकडी	17.07.1964	13.09.1989	31.07.2024
5	इन्द्रा कुमारी पी.एस महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	केकडी	20.04.1964	23.01.1989	30.04.2024
6	चन्दकान्ता सांखला महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	अजमेर	15.05.1964	20.07.1989	31.05.2024
7	उमा कुमारी महिला स्वास्थ्य दर्शिका	अजमेर	30.05.1964	27.12.1985	31.05.2024
8	आलिया वानो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	अजमेर	03.04.1964	03.01.1997	30.04.2024
9.	एलियम्मा वर्गिस महिला स्वास्थ्य दर्शिका	डीडवाना कुचामन	25.05.1964	03.02.1984	31.05.2024
10	अनिता कुमारी पी. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	डीडवाना कुचामन	25.04.1964	15.03.1989	30.04.2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

RajKaj Ref
5647351

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-अजमेर/सेवानिवृति/x-03-00781/2024/84

दिनांक:-21/02/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी केकडी/टोंक/अजमेर/डीडवाना कुचामन।
4. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान।
6. प्रभारी डी०पी०सी० अनुभाग, मुख्यालय,।
7. सम्बन्धित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।
- 10.

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5647351

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval

Designation: Director

Date :19-02-2024 05:50:23